रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2004/श्रावण 21, 1926
No. 710] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2004/SRAVANA 21, 1926

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2004

का.आ. 918(अ).—जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5 (क) के उप-खंड (1) के साथ पठित उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का निम्नलिखित व्यक्तियों को इसके सदस्यों के रूप में सम्मिलित करके इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पुनर्गठन करती है :—

(1)	वन-महानिदेशक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली	सदस्य (पदेन) धारा 5(1)(क) के अधीन
(2)	पशु कल्याण आयुक्त, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन) धारा 5(1)(ख) के अधीन
(3)	श्री सत्यपाल, उप-सचिव गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य धारा 5(1)(ख क) के अधीन
(4)	सुश्री नोरमा अलवेरस, प्रेक्टिसिंग वकील, गोवा	सदस्य धारा 5(1)(ख ग) के अधीन
(5)	डा. अमरेश चटर्जी, भूतपूर्व निदेशक, पशु पालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं पश्चिम बंगाल	सदस्य धारा 5(1)(ख ग) के अधीन
(6)	डा. वी. एन. अप्पाजी राव, कन्सलटेंट पशु चिकित्सक, चेन्नई, तमिलनाडु	सदस्य धारा 5(1)(ग) के अधीन

(7)	नई दिल्ली नगर निगम का एक प्रतिनिधि, नई दिल्ली	सदस्य धारा 5(1)(ड़) के अधीन
(8)	नगर निगम, चेन्नई, तमिलनाडु का एक प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5(1)(ड़) के अधीन
(9)	ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का एक प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5(1)(च) के अधीन
(10)	सोसायटी फॉर प्रिवेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनीमल्स, मुम्बई, महाराष्ट्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5(1)(छ) के अधीन
(11)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तमिलनाडु या उसका प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5(1)(ज) के अधीन
(12)	संयुक्त सचिव-प्रभारी पशु कल्याण प्रभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य धारा 5(1)(ज) के अधीन
(13)	श्री राजीव गुप्ता, सचिव, डेयरी विकास, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य धारा 5(1)(ज) के अधीन

[फा. सं. 11-26/2003-ए. डब्ल्यू.डी.]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के गठन संबंधी इससे पूर्व अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2001 को भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 516(अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी तथा तदनुसार इसे संख्या का.आ. 848(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2004

S.O. 918(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) read with Sub-section (1) of Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby reconstitutes the Animal Welfare Board of India consisting of the following persons as its Members, with effect from the date of publication of this notification, namely :—

(1)	Director General of Forests, Ministry of Environment and Forests, New Delhi	Member (ex-officio) under Section 5(1)(a)
(2)	The Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture, New Delhi	Member (ex-officio) under Section 5(1)(b)
(3)	Shri Satya Pal, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi	Member under Section 5(1)(ba)
(4)	Ms. Norma Alvares, Practicing Lawyer, Goa	Member under Section 5(1)(bc)
(5)	Dr. Amaresh Chatterjee, Rtd. Director Animal Husbandry and Veterinary Services, West Bengal	Member under Section 5(1)(bc)

IndiaCode

(6)	Dr. V. N. Appajee Rao, Consultant Veterinarian, Chennai, Tamil Nadu	Member under Section 5(1)(c)
(7)	A Representative of New Delhi Municipal Corporation, New Delhi	Member under Section 5(1)(e)
(8)	A Representative of Municipal Corporation, Chennai, Tamil Nadu	Member under Section 5(1)(e)
(9)	A Representative of Blue Cross of Hyderabad, Andhra Pradesh	Member under Section 5(1)(f)
(10)	A Representative of Society for Prevention of Cruelty to Animals, Mumbai, Maharashtra	Member under Section 5(1)(g)
(11)	Chief Wild Life Warden, Tamil Nadu or his Representative	Member under Section 5(1)(h)
(12)	Joint Secretary-in-charge Animal Welfare Division, Ministry of Environment and Forests	Member under Section 5(1)(h)
(13)	Shri Rajiv Gupta, Secretary, Dairy Development, Govt. of Uttar Pradesh	Member under Section 5(1)(h)

IndiaCode

[F. No. 11-26/2003-AWD]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note :—The earlier notification reconstituting the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 516(E) dated the 13th June, 2001 and subsequently amended *vide* number S.O. 848(E) dated the 31st August, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.